



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178679

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 48933 सन् 2025

अरुणेश कुमार शर्मा एवं 4 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : जलज कुमार त्रिपाठी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया है और उक्त समझौता वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन आख्या भेजने हेतु भी निर्देशित किया गया था।
3. आख्या के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2025 को समझौते का सत्यापन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा विपक्षी संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य, (2019) 5 एस.सी.सी. 688** के मामले में समझौते/निपटारे के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक पैरा निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के अन्य निर्णयों, जिनका उपर्युक्त संदर्भ दिया गया है, पर विचार करने के पश्चात्, यह टिप्पणी एवं प्रतिपादित किया जाता है कि:-

i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जिनमें अत्यधिक एवं मुख्य रूप से सिविल प्रकृति हो, विशेष रूप से वे मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने आपस में संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा मानसिक विकृति से संबंधित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा उस रूप में कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में, पीड़ित एवं अपराधकर्ता के मध्य हुए मात्र समझौते के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने हेतु ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भा.दं.सं. की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें समाज के विरुद्ध अपराध माना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के विरुद्ध; और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 307 और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, की आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर कि पक्षकारों ने आपस में अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस कारण अपना निर्णय नहीं रखेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भा.दं.सं. की धारा 307 का उल्लेख है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि भा.दं.सं. की धारा 307 को केवल औपचारिकता के लिए शामिल किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो सिद्ध होने पर भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए जाने का आधार बनेंगे। इस प्रयोजन हेतु, उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है अथवा नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद तभी अनुमेय होगी जब विवेचना के पश्चात् साक्ष्य एकत्र कर लिया गया हो और आरोप-पत्र दाखिल/आरोप निर्धारित कर दिया गया हो और/या विचारण के दौरान हो। ऐसी कवायद उस समय अनुमेय नहीं है जब मामला अभी विवेचना के अधीन हो। अतः **नरिंदर सिंह** (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्ष को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में पढ़ा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, पीड़ित एवं अपराधकर्ता के मध्य समझौते/निपटारे के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की आदि पर भी विचार करना आवश्यक है।”



7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा पक्षकारों के मध्य समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है तथा वाद संख्या 1155 वर्ष 2025 (वाद संख्या 9431 वर्ष 2016) (राज्य बनाम अरुणेश कुमार शर्मा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 66 वर्ष 2016, धारा 147, 149, 504, 506, 332 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जनपद बरेली से उद्भूत है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

24 अगस्त, 2026

अकबर